भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1042
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या

1042 # श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले पाँच वर्षों में देश के कुछ जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सूची से बाहर किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) वर्तमान में देश के 38 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं।

(ख) एवं (ग) पिछले पांच वर्षों में, देश के 60 जिलों को वामपंथी उग्रवाद के दुष्प्रभाव से मुक्त कराया गया है। इन जिलों की राज्य-वार विस्तृत सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(घ): (i) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में "वामपंथी उग्रवाद

(एलडब्ल्यूई) से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" को अनुमोदित किया गया था। इसमें एक बहुआयामी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। जहां सुरक्षा की दृष्टि से, केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनों, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु प्रशिक्षण एवं निधियों, उपकरण एवं हथियारों, आसूचना के आदान-प्रदान, फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि का प्रावधान करके एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों की सहायता करती है, वहीं विकास की दृष्टि से फ्लेगशिप योजनाओं के अलावा, भारत सरकार (जीओआई) ने सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, कौशल और वित्तीय समावेश पर विशेष जोर देते हुए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहलें की हैं।

(ii) वर्ष 2019-20 से 2023-24 के मध्य अर्थात पिछले 05 वर्षों के दौरान, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजनाओं के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता संवर्धन के लिए 4350.78 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन (एसीएएलडब्ल्यूइएम) योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में हेलीकॉप्टरों और महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए पिछले 05 वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान, केंद्रीय एजेंसियों को 560.22 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(iii) विकास की दृष्टि से कई पहलें की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए अब तक, 14529 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।
- दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, 6524 टावर कार्यात्मक हो चुके हैं।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्थानीय लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए, 5731 नए डाकघर खोले गए हैं। साथ ही, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1007 बैंक शाखाएं तथा 937 एटीएम खोले गए हैं।

- कौशल विकास के लिए, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 46 आईटीआई और 49 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) कार्यात्मक बनाए गए हैं।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के जनजातीय समूहों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) कार्यात्मक बनाए गए हैं।

(iv) सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी) स्थानीय लोगों के कल्याण और युवाओं को माओवादियों के प्रभाव से दूर रखने के लिए विभिन्न सिविक कार्यकलापों का आयोजन करते हैं।

(v) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के जनजातीय युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के माध्यम से ट्राईबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (टीवाईईपी) आयोजित किए जा रहे हैं।

(vi) नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, हिंसा में कमी और भौगोलिक प्रसार के संकुचन, दोनों के रूप में वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में बहुत सुधार हुआ है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2023 में 73% की कमी आई है। परिणामी मौतों (सुरक्षा बल + सिविलियन) की संख्या भी वर्ष 2010 में 1005 से 86% घटकर वर्ष 2023 में 138 हो गई है। बेहतर एलडब्ल्यूई परिदृश्य के कारण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90 हो गई। जुलाई 2021 में 70 तथा अप्रैल 2024 में और घटकर 38 जिले हो गई है।

******

राज्य सभा अता.प्र.स. 1042 दिनांक 04.12.2024

अनुलग्नक-I

क्र.सं.	**राज्य**	**पिछले 5 वर्षों (वर्ष 2018 से वर्ष 2024 के बीच) के दौरान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर रखे गए जिले**
1	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, पार्वतीपुरम मान्यम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी।
2	बिहार	अरवल, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा, रोहतास, वैशाली, पश्चिमी चंपारण।
3	छत्तीसगढ़	बालोद, बलरामपुर
4	झारखंड	बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां।
5	केरल	मलप्पुरम, पलक्कड़।
6	मध्य प्रदेश	-
7	महाराष्ट्र	चंद्रपुर
8	ओडिशा	अंगुल, बरगढ़, बौध, देवगढ़, कोरापुट, नयागढ़, संभलपुर, सुंदरगढ़।
9	तेलंगाना	आदिलाबाद, जयशंकर-भूपालपल्ली, खम्मन, कोमाराम-भीम, मंचेरियल, पेद्दापल्ले, वारंगल ग्रामीण।
10	उत्तर प्रदेश	चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र
11	पश्चिम बंगाल	-